संख्याः 1968 / 87–अति0ऊ0स्रो0वि0 / 2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी।
5. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ।
6. निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 31 दिसम्बर, 2019

विषयः– प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम–कुसुम) कम्पोनेन्ट–सी के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय(एमएनआई), भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश पत्र संख्या–32/654/2017–एसपीपी0डीवीजन दिनांक 22.07.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक 7.5 एचपी क्षमता तक के ग्रिड संयोजित कृषि पम्पो को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार ऊर्जा के परम्परागत स्रोतो पर इन कृषि पम्पों की निर्भरता को कम किया जा सकेगा ज़िससे कृषि सेक्टर में ग्रिड आधारित विद्युत के उपभोग पर दी जा रही सब्सिडी का भार भी कम होगा तथा किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित ऊर्जा, वितरण निगम को विकय कर अपनी आय में बढ़ोत्तरी भी की जा सकेगी।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 1000 कृषि पम्पों को पायलेट मोड में सौर ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

2– <u>पीएम–कुसुम–कम्पोनेन्ट–सी का कियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगाः–</u>

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को उनके ग्रिड संयोजित कृषि पम्पो को सौर ऊर्जीकृत करने में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सौर ऊर्जा पैनल की पीवी क्षमता उनके कृषि पम्पों की क्षमता से अन्यून तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन विनियमों द्वारा अनुमन्य अधिकतम सीमा तक हो सकेगी। किसान खेती हेतु आवश्यकता से अधिक उत्पादित सौर ऊर्जा का उत्पादन कर अधिशेष ऊर्जा विद्युत वितरण निगम को विकय कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेगें।
2. यूपीनेडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वदेश निर्मित सोलर मॉड्यूल तथा सोलर सेल का प्रयोग हो तथा सामग्री एवं स्थापना की गुणवत्ता एमएनआरई/बीआईएस द्वारा जारी, विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप हो।
3. इस कार्यक्रम का लाभ मात्र ऐसे किसानों को उपलब्ध होगा जिनके कृषि पम्प पूर्व से ग्रिड संयोजित है। कार्यक्रम का कियान्वयन फीडरवार किया जायेगा। विद्युत वितरण निगमों द्वारा कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु फीडरों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन फीडरों को "मस्ट रन" स्टेटस प्रदान किया जाए ताकि दिन के समय प्राप्त सौर ऊर्जा का पूर्ण दोहन हो सके। इस प्रकार चिन्हित फीडरों को निरन्तर "ऑन" तथा रोस्टिंग से मुक्त रखा जाए।
4. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित संयंत्रो द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा का उपभोग किसान द्वारा स्वयं किये जाने अथवा वितरण निगम को विकय किये जाने, दोंनो स्थितियों में इस की गणना वितरण निगम की आरपीओ पूर्ति हेतु की जायेगी।
5. कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानो द्वारा स्थापित किये जाने वाले सोलर पीवी पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेण्डर मे प्राप्त लागत, जो भी कम हो का 30 प्रतिशत तथा इतना ही अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। शेष 40 प्रतिशत लागत का वहन किसान द्वारा स्वयं किया जायेगा परन्तु इस अंश से भी किसान को बैंक द्वारा वित्त पोषण दिलाकर सहयोग प्रदान किया जा सकता है।
6. कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानो द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा का कय वितरण निगम द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ पॉलिसी तथा मीटरिंग मैथड सम्बन्धी अद्यतन निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।
7. यूपीनेडा द्वारा कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में विद्युत वितरण निगमों तथा लाभार्थी किसानो के बीच समन्वय का कार्य किया जायेगा। एमएनआरई से कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा एमएनआरई द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले वेन्डर्स के चयन हेतु केन्द्रीयकृत निविदा न किये जाने की दशा में, वेन्डर्स के चयन हेतु बिडिंग का कार्य यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत, चयनित वेन्डर्स द्वारा स्थापित संयंत्रो पर स्थापना की तिथि से न्यूनतम 05 वर्ष की वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध सेवा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित संयंत्रो की क्रियाशीलता तथा निष्पादन के अनुश्रवण हेतु रिमोट मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना चयनित वेन्डर द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा एमएनआरई के साथ समन्वय यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य भी यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा।

8. कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य राज्य अनुदान की बजटीय व्यवस्था उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा करायी जायेगी।

3– योजना के सुचारू कियान्वयन तथा नियमित अनुश्रवण हेतु निम्नवत समिति गठित की जाती है:–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ –अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ –सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ –सदस्य
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा –सदस्य
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी –सदस्य
6. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ –सदस्य
7. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ–सदस्य सचिव

4– कार्यक्रम का कियान्वयन उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ नीति तथा मीटरिंग मैथड के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उर्पयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवानी सिंह खंगारौत)
विशेष सचिव।

3/-

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे आहूत अनुश्रवण समिति की प्रस्तावित बैठक का एजेण्डा

बिन्दु सं0–1

मा0 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में ऊर्जा क्रय हेतु संयुक्त पिटीशन पर चर्चा

बिन्दु सं0–2

स्वदेशी सोलर मॉडयूल, सोलर सेल के प्रयोग एवं गुणवत्ता मानकों पर चर्चा

बिन्दु सं0–3

डिस्कॉम द्वारा फीडरों के विन्हीकरण की प्रगति पर चर्चा

बिन्दु सं0–4

वेण्डर के चयन के लिये बनाये जाने वाले बिड डाक्यूमेन्ट पर चर्चा

बिन्दु सं0–5

योजना की 40 प्रतिशत लागत जो कि कृषकों द्वारा वहन की जानी है इस अंश पर कृषकों को बैंक द्वारा वित्त पोषण पर चर्चा

बिन्दु सं0–6

मीटरिंग आदि तकनीकी विषयों पर चर्चा

बिन्दु सं0–7

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु